पत्र संख्या-स0द0/2018-19// 229 /1819009 // वाणिज्यकर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश

(सचलदल-अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 9 मई,2018

समस्त

जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0)/

ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्यपालक/वि0अनु0शा0/

वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश।

विषय:- परिवहन के दौरान माल की जांच हेतु वाहन को रोके जाने एवं ऐसे परिवहित किए जा रहे माल एवं वाहन के डिटेन्शन, अवमुक्त एवं जब्त किए जाने सम्बन्धी प्रक्रिया।

जी0एस0टी0 काउंसिल की 27वीं बैठक में जी0एस0टी0 क्रियान्वयन समिति (GIC) द्वारा उक्त प्रक्रिया के निर्धारण हेतु परिपत्र जारी किया जाना प्रस्तावित किया गया जिसका अनुमोदन जी0एस0टी0 काउंसिल द्वारा किया गया है। क्रियान्वयन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर CBEC (सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ एक्साईज एण्ड कस्टम) द्वारा परिपत्र संख्या-41/15/2018-जी0एस0टी0 दिनांक 13-04-2018 जारी किया गया है एवं राज्यों से भी यथोचित संशोधन सहित परिपत्र जारी किए जाने के निर्देश दिए गए है।

अत: परिवहन के दौरान माल एवं वाहन को जांच हेतु रोके जाने एवं उसके डिटेन्शन, अवमुक्ति एवं जब्ती हेतु निम्नवत प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

UPGST Act, 2017 (जिसे आगे SGST Act कहा गया है) की धारा-68 की उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुसार किसी वाहन का प्रभारी व्यक्ति निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य के माल के प्रेषण करने की स्थिति में विहित प्रपत्र एवं डिवाईस अपने साथ में रखेगा। उक्त की धारा की उपधारा (2) में वर्णित है कि वाहन के प्रभारी व्यक्ति द्वारा अपने साथ रखे जाने वाले अपेक्षित प्रपत्रों के विवरणों की विहित रूप से पुष्टि की जाएगी। उक्त धारा की उपधारा (3) में यह प्रावधानित है कि जहां उपधारा (1) में उल्लिखित वाहन को किसी प्रॉपर आफिसर द्वारा किसी स्थान पर रोके जाने पर, वह ऐसे वाहन के प्रभारी व्यक्ति से सत्यापन हेतु प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है एवं प्रभारी व्यक्ति ऐसे प्रपत्रों को प्रस्तुत करने का दायी होगा एवं परिवहन किए जा रहे माल की जांच करने देगा।

1.1 उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर नियमावली, 2017 (जिसे आगे प्रान्तीय नियमावली कहा गया है) के नियम-138 से 138D तक ई-वे बिल सम्बन्धी प्रावधान विस्तृत रूप से वर्णित हैं। उक्त प्रावधानों के अनुसार, माल का सड़क मार्ग से परिवहन किए जाने पर ऐसे माल का प्रेषण आरम्भ होने से पूर्व ई-वे बिल जनरेट किया जाना आवश्यक है। प्रान्तीय नियमावली के नियम-138A में यह विहित किया गया है कि सड़क मार्ग से परिवहन किए जाने की स्थिति में वाहन का प्रभारी व्यक्ति इन्वाईस अथवा बिल ऑफ सप्लाई अथवा डिलीवरी चालान के साथ-साथ ई-वे बिल की प्रति भौतिक रूप में अथवा ई-वे बिल नम्बर इलेक्ट्रानिक फार्म में अथवा कमिश्नर द्वारा विज्ञापित प्रक्रिया के अनुसार वाहन में अन्त:स्थापित रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेशन डिवाईस (RFID) के साथ मैप्ड करेगा।

1.2 SGST Act, की धारा-129 में परिवहन के दौरान माल एवं वाहन के डिटेन्शन, सीजर एवं उसे अवमुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया है जबकि SGST Act, की धारा-130 में माल या वाहन की जब्ती एवं अर्थदण्ड आरोपण का प्रावधान किया गया है।

2. उक्त के सम्बन्ध में, अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में फील्ड स्तर से कई सन्दर्भ प्राप्त हुए है एवं इनके समाधान हेतु समय-समय पर परिपत्र जारी किये जाते रहे हैं। अतः इस सम्बन्ध में SGST Act, के प्रावधानों के क्रियान्वयन में प्रदेश स्तर पर एक रूपता सुनिश्चित करने हेतु पूर्व में जारी समस्त निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए SGST Act, की धारा-168 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नवत् निर्देश जारी किए जाते हैं :-

(a). इस कार्यालय के आदेश संख्या-278 / जी0एस0टी0/ 2017-18 / File no.-118/ राज्य कर दिनांक 01-07-2017 एवं पुन: आदेश संख्या- जी0एस0टी0/ 2017-18 / 07 / वाणिज्य कर दिनांक 03-04-2018 द्वारा धारा-68, 129 एवं 130 के अन्तर्गत प्रॉपर आफिसर को उक्त आदेशों में विहित शर्तों के अधीन अपने अधिकार क्षेत्र में माल एवं वाहन की जांच एवं जांच हेतु रोके जाने के लिए अधिकृत किया जाता है।

(b). किसी वाहन को रोकने एवं जांच करने हेतु अधिकार प्राप्त प्रॉपर आफिसर के द्वारा किसी वाहन में लदे माल से सम्बन्धित प्रपत्रों के सत्यापन एवं / अथवा माल की जांच हेतु रोका जा सकता है। रोके जाने पर वाहन के प्रभारी व्यक्ति द्वारा वाहन एवं माल से सम्बन्धित प्रपत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रॉपर आफिसर ऐसे प्रपत्रों का सत्यापन करेगा और जहां प्रथम दृष्ट्या कोई विसंगति नही पाई जाती है तब वाहन को आगे जाने की अनुमति दी जाएगी। वाहन के प्रभारी व्यक्ति के पास ई-वे बिल का नम्बर उपलब्ध हो सकता है या इसका प्रिन्टआउट, SMS हो सकता है या इन्वाईस पर लिखा हो सकता है। ई-वे बिल के यह सभी प्रकार विधि मान्य होंगे। जहां ई-वे बिल को इलेक्ट्रानिक रूप से सत्यापित करने की सुविधा उपलब्ध है, इसे http://mis.ewaybillgst.gov.in पर लॉग इन करके या Mobile App या EWBVER <EWB_NO> अंकित करते हुए (उदाहरण- EWBVER 120100231897), मोबाईल नम्बर-7738299899 पर SMS भेजकर सत्यापित किया जा सकता है।

(c). प्रान्तीय नियमावली के नियम-138B के अन्तर्गत प्रॉपर आफिसर वह अधिकारी है जिसे SGST Act, की धारा-68 की उपधारा (3) के अन्तर्गत आदेश संख्या-278 / जी0एस0टी0/ 2017-18 / File no.-118/ राज्य कर दिनांक 01-07-2017 एवं पुन: आदेश संख्या- जी0एस0टी0/ 2017-18 / 07 / वाणिज्य कर दिनांक 03-04-2018 से ई-वे बिल सत्यापन, वाहन और / अथवा माल को रोकने एवं उसकी जांच की कार्यवाही हेतु अधिकृत किया गया है।

(d). जहां वाहन का प्रभारी व्यक्ति कोई विहित प्रपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है या जहां प्रॉपर आफिसर जांच करने का इच्छुक है तब वह वाहन के प्रभारी व्यक्ति का बयान **FORM GST MOV-01** में दर्ज किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्रॉपर आफिसर द्वारा वाहन में लदे माल के भौतिक सत्यापन तथा इससे सम्बन्धित प्रपत्रों / अभिलेखों की जांच हेतु वाहन के प्रभारी व्यक्ति को **FORM GST MOV-02** में अंकित स्थान पर वाहन खड़ा करने एवं उसमें लदे माल की जांच कराने हेतु आदेश दिया जाएगा। **FORM GST MOV-02** जारी करने के 24 घण्टे के अन्दर प्रॉपर आफिसर

द्वारा **http://mis.ewaybillgst.gov.in/** पर लागिन करते हुए एक सत्यापन रिपोर्ट **FORM GST EWB-03** के पार्ट-ए में तैयार की जाएगी और इसे कामन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

(e). FORM GST MOV-02 जारी करने के 03 कार्यदिवस के अन्दर प्रॉपर आफिसर द्वारा स्वयं अथवा इस सम्बन्ध में अधिकृत किसी अन्य प्रॉपर आफिसर के माध्यम से जांच प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। जहां ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हों जिसमें ऐसे समय का बढ़ाया जाना आवश्यक हो तब उसके द्वारा सम्बन्धित ज्वाइण्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर से **FORM GST MOV-03** में निर्धारित 03 कार्यदिवस के अतिरिक्त और अधिक समय बढ़ाए जाने की लिखित अनुमति प्राप्त की जाएगी तथा इस आदेश की एक प्रति वाहन प्रभारी को भी तामील कराई जाएगी।

(f). वाहन एवं उससे परिवहित किए जा रहे माल का भौतिक सत्यापन एवं जांच पूर्ण होने पर प्रॉपर आफिसर द्वारा ऐसे भौतिक सत्यापन की एक रिपोर्ट **FORM GST MOV-04** में तैयार की जाएगी तथा इसकी एक प्रति माल एवं वाहन के प्रभारी को प्राप्त कराई जाएगी। प्रॉपर आफिसर द्वारा इसके साथ ही ऐसे भौतिक सत्यापन / जांच के 03 दिन के अन्दर अन्तिम जांच रिपोर्ट **FORM GST EWB-03** के पार्ट-बी में कॉमन पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

(g). माल एवं वाहन के भौतिक सत्यापन के उपरान्त कोई विसंगति नहीं पाए जाने पर प्रॉपर आफिसर द्वारा **FORM GST MOV-05** में आदेश पारित करते हुए वाहन को आगे प्रस्थान करने हेतु तत्काल अवमुक्त कर दिया जाएगा। जहां प्रॉपर आफिसर का यह मत है कि माल एवं वाहन को SGST Act की धारा-129 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु रोका जाना आवश्यक है तब वह **FORM GST MOV-06** में डिटेन्शन आदेश जारी करेगा और देय कर एवं अर्थदण्ड की धनराशि विनिर्दिष्ट करते हुए SGST Act की धारा-129 की उपधारा (3) के अन्तर्गत नोटिस **FORM GST MOV-07** में जारी करते हुए इसे वाहन के प्रभारी व्यक्ति को प्राप्त कराया जाएगा।

(h). जहां माल स्वामी या उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति कर एवं अर्थदण्ड की धनराशि का भुगतान करने सामने आता है तो ऐसी स्थिति में SGST Act की धारा-129 की उपधारा (1) के क्लाज (a) के अनुसार देय कर एवं अर्थदण्ड की धनराशि जमा करने के उपरान्त तथा जहां माल स्वामी या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति भुगतान करने सामने आता है तो SGST Act की धारा-129 की उपधारा (1) के क्लाज (b) के अनुसार देय कर एवं अर्थदण्ड की धनराशि जमा कराने के उपरान्त प्रॉपर आफिसर द्वारा **FORM GST MOV-05** में आदेश पारित करते हुए माल एवं वाहन को अवमुक्त किया जायेगा। अग्रेतर **FORM GST MOV-09** में आदेश पारित करते हुए कॉमन पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा एवं उक्त प्रक्रिया से सृजित मांग SGST Act की धारा-49 के प्रावधानों के अनुसार इलेक्ट्रानिक उत्तरदायित्व रजिस्टर (Electronic liability register) में जोड़ी जायेगी तथा भुगतान की गई धनराशि को इलेक्ट्रानिक कैश लेजर में से डेबिट करते हुए उक्त उत्तरदायित्व रजिस्टर (liability register) में क्रेडिट किया जायेगा।

(i). जहां माल स्वामी या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति या माल स्वामी से भिन्न कोई व्यक्ति माल एवं वाहन छुड़ाने के लिए सामने आकर SGST Act की धारा-129 की उपधारा (1) के क्लाज (c) के अन्तर्गत जमानत प्रस्तुत करता है तब उससे **FORM GST MOV-08** में एक बान्ड एवं इसके साथ SGST Act की धारा-129 की उपधारा (1) के क्लाज (a) अथवा (b) के अनुसार देय कर एवं

अर्थदण्ड के समतुल्य बैंक गारण्टी लेकर माल एवं वाहन को **FORM GST MOV-05** में आदेश पारित करते हुए अवमुक्त कर दिया जाएगा। सम्बन्धित अधिकारी द्वारा धारा-129 के अधीन प्रचलित कार्यवाही को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाएगा और इस कार्यवाही से सृजित होने वाली मांग को प्रस्तुत की गई जमानत से समायोजित किया जा सकता है।

(j). जहां प्रस्तावित देय कर एवं अर्थदण्ड के सम्बन्ध में आपत्ति दाखिल की जाती है, प्रॉपर आफिसर द्वारा ऐसी आपत्ति पर विचार करते हुए एक स्पष्ट आदेश **FORM GST MOV-09** में पारित किया जाएगा जिसमें देय कर एवं अर्थदण्ड की धनराशि विनिर्दिष्ट की जाएगी। ऐसे विनिर्दिष्ट कर एवं अर्थदण्ड का भुगतान करने पर माल एवं वाहन को **FORM GST MOV-05** में आदेश पारित करते हुए तत्काल छोड़ दिया जाएगा। **FORM GST MOV-09** में पारित आदेश कामन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा एवं उक्त प्रक्रिया से सृजित मांग SGST Act की धारा-49 के प्रावधानों के अनुसार इलेक्ट्रानिक उत्तरदायित्व रजिस्टर (Electronic liability register) में जोड़ी जायेगी तथा भुगतान की गई धनराशि को इलेक्ट्रानिक कैश लेजर में से डेबिट करते हुए उक्त उत्तरदायित्व रजिस्टर (liability register) में क्रेडिट किया जायेगा।

(k). ऐसे मामलों में जहां **FORM GST MOV-06** में डिटेन्शन आदेश जारी होने के सात दिन के अन्दर विनिर्दिष्ट कर एवं अर्थदण्ड की धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तब SGST Act की धारा-130 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु **FORM GST MOV-10** में नोटिस जारी करते हुए माल एवं वाहन की जब्ती एवं अर्थदण्ड का आरोपण प्रस्तावित किया जाएगा।

(l). जहां प्रॉपर आफिसर का यह मत है कि ऐसे माल का परिवहन करापवंचन के उद्देश्य से किया जा रहा है तब वह सीधे धारा-130 में ऐसे माल एवं वाहन की जब्ती हेतु **FORM GST MOV-10** में नोटिस जारी करते हुए कार्यवाही प्रस्तावित कर सकता है। इस नोटिस में SGST Act की धारा-130 सपठित धारा-122 के अन्तर्गत देय कर एवं अर्थदण्ड की धनराशि और धारा-130 की उपधारा (2) के अन्तर्गत जब्ती के बदले जुर्माना की राशि विनिर्दिष्ट की जाएगी। जहां वाहन का प्रयोग माल की ढुलाई के लिए अथवा किराए पर यात्री की सवारी के लिए किया जाता है तब SGST Act की धारा-130 की उपधारा (2) के तृतीय परन्तुक के अन्तर्गत ऐसे वाहन स्वामी को वाहन की जब्ती के बदले उससे परिवहित किए जा रहे माल पर देय कर के बराबर जुर्माना अदा करना प्रस्तावित करते हुए नोटिस जारी की जाएगी।

(m). माल अथवा वाहन की जब्ती या अर्थदण्ड आरोपण का आदेश सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।

(n). माल के प्रभारी व्यक्ति (स्वामी अथवा उसके प्रतिनिधि) के द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त एक जब्ती आदेश **FORM GST MOV-11** में पारित किया जाएगा एवं इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित व्यक्ति पर तामील कराई जाएगी। जब्ती आदेश पारित होने पर ऐसे माल का स्वामित्व राज्य सरकार को अन्तरित हो जाएगा। उपर्युक्तानुसार पारित आदेश में जब्ती के बदले जुर्माना, कर एवं अर्थदण्ड की धनराशि का भुगतान समुचित अवधि, जो तीन माह से अधिक नहीं होगी, में करते हुए जब्त माल को छुड़ा लेने का विकल्प दिया जाएगा। **FORM GST MOV-11** में पारित आदेश कॉमन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा एवं उक्त प्रक्रिया से सृजित

मांग SGST Act की धारा-49 के प्रावधानों के अनुसार इलेक्ट्रानिक उत्तरदायित्व रजिस्टर (Electronic liability register) में जोड़ी जायेगी तथा भुगतान की गई धनराशि को इलेक्ट्रानिक कैश लेजर में से डेबिट करते हुए उक्त उत्तरदायित्व रजिस्टर (liability register) में क्रेडिट किया जायेगा। माल की जब्ती का आदेश **FORM GST MOV-11** में पारित करने पर पूर्व में इसी माल के सम्बन्ध में **FORM GST MOV-09** में पारित आदेश वापस ले लिया जाएगा।

(o). वाहन के प्रभारी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त वाहन की जब्ती का आदेश **FORM GST MOV-11** में पारित किया जाएगा तथा इसे सम्बन्धित व्यक्ति पर तामील कराया जाएगा। एक बार जब्ती आदेश पारित हो जाने पर ऐसे वाहन का स्वामित्व राज्य सरकार को अन्तरित हो जाएगा। उपर्युक्तानुसार पारित आदेश में जब्ती के बदले जुर्माना एवं अर्थदण्ड की धनराशि का भुगतान समुचित अवधि, जो तीन माह से अधिक नहीं होगी, में करते हुए जब्त वाहन को छुड़ा लेने का विकल्प दिया जाएगा। **FORM GST MOV-11** में पारित आदेश कॉमन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा एवं उक्त प्रक्रिया से सृजित मांग SGST Act की धारा-49 के प्रावधानों के अनुसार इलेक्ट्रानिक उत्तरदायित्व रजिस्टर (Electronic liability register) में जोड़ी जायेगी तथा भुगतान की गई धनराशि को इलेक्ट्रानिक कैश लेजर में से डेबिट करते हुए उक्त उत्तरदायित्व रजिस्टर (liability register) में क्रेडिट किया जायेगा।

(p). उपर्युक्त क्लाज (n) एवं (o) में सन्दर्भित आदेश को एक उभयनिष्ठ आदेश (Common Order) **FORM GST MOV-11** में भी पारित किया जा सकता है।

(q). यदि माल के स्वामी अथवा माल के स्वामी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा **FORM GST MOV-11** में विनिर्दिष्ट समय में कर, अर्थदण्ड एवं जुर्माना की धनराशि का भुगतान करते हुए माल एवं वाहन अवमुक्त नहीं कराया जाता है तब प्रॉपर आफिसर ऐसे माल और / या वाहन की सार्वजनिक नीलामी करते हुए प्राप्त प्रतिफल को राज्य सरकार के खाते में जमा किया जाएगा।

(r). शीघ्र नाशवान और / अथवा खतरनाक वस्तुओं (Perishable and / or Hazardous Goods) के सम्बन्ध में नोटिस की तामीली अथवा नीलामी आदेश अथवा निस्तारण की अवधि में वांछित परिवर्तन किया जा सकेगा।

(s). जब कभी भी प्रॉपर आफिसर द्वारा SGST Act के अन्तर्गत प्रचलित किसी कार्यवाही में आदेश पारित किया जाता है तब इसके सदृश आदेश (Corresponding Order) CGST Act के अन्तर्गत और लागू होने पर The GST (Compensations to States) Act, 2017 के अन्तर्गत भी पारित किया जाएगा। अग्रेतर केन्द्रीय कर / राज्य कर / संघ राज्य क्षेत्र कर के बकाया की वसूली की स्थिति में SGST Act / CGST Act की धारा 79 की उपधारा (3) और (4) को संदर्भित किया जा सकता है।

(t). उपर्युक्त वर्णित प्रक्रियाएं **एकीकृत माल एंव सेवा कर अधिनियम 2017** के अन्तर्गत पारित होने वाले आदेश अथवा कार्यवाही के लिए यथोचित परिवर्तनों सहित (mutatis mutandis) लागू होंगी।

(u). किसी कर, अर्थदण्ड, जुर्माना या अन्य प्रभार की मांग सम्बन्धित व्यक्ति के इलेक्ट्रानिक उत्तरदायित्व रजिस्टर (liability register) में जोड़ी जाएगी। अपंजीकृत व्यक्तियों के मामलों में जहां कोई इलेक्ट्रानिक उत्तरदायित्व रजिस्टर उपलब्ध नहीं है, ऐसे मामलों में प्रॉपर आफिसर द्वारा कामन पोर्टल पर एक अस्थायी आई0डी0 बनाई जाएगी जिसमें देयता सृजित की जाएगी। कर,

अर्थदण्ड या जुर्माना एवं अन्य प्रभार के विरुद्ध सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा किए गए भुगतान को वह इलेक्ट्रानिक रोकड़ बही से डेबिट करते हुए इलेक्ट्रानिक उत्तरदायित्व रजिस्टर को क्रेडिट करेगा।

(v). **FORM GST MOV-09** एवं **FORM GST MOV-11** के प्रत्येक आदेश की समरी कामन पोर्टल पर **FORM GST-DRC-07** में इलेक्ट्रानिक रुप से अपलोड की जाएगी।

(3.) **FORM GST MOV-01** से **FORM GST MOV-11** तक का प्रारुप इस परिपत्र के साथ संलग्न है।

निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्तानुसार जारी किए जा रहे प्रक्रियात्मक निर्देशों का प्रचार प्रसार कराते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराएं।

<u>संलग्नक: यथोपरि।</u>

(कामिनी चौहान रतन)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

<u>पृ0प0सं0 व दिनांक:उक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1.अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2.एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
3.एडीशनल कमिश्नर(जी0एस0टी0/विधि)वाणिज्य कर मुख्यालय।
4.एडीशनल डायरेक्टर, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान।
5.समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।

कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश

कार्यालय...

Sr. No.

FORM GST MOV-01

वाहन स्वामी / चालक / प्रभारी का बयान

श्री ----------------------------- पुत्र श्री ---------------------- उम्र---------- वर्ष, निवासी--------------------- --------------- वाहन स्वामी / चालक / प्रभारी वाहन संख्या----------------

द्वारा ---------------------- (समुचित अधिकारी का पदनाम) के समक्ष दिनांक ---------- को -----बजे दिया गया बयान।

आज आप द्वारा उक्त वाहन को रोका गया तत्पश्चात अपना परिचय देते हुए मेरी पहचान और परिवहन किए जा रहे माल से सम्बंधित प्रपत्रों को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।

इस सन्दर्भ में, मैं निम्न घोषणा करता हूँ -

<table>
<tr><td colspan="8">1. Personal Details</td></tr>
<tr><td colspan="2">NAME</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">FATHER'S NAME</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>AGE</td><td>Yrs</td><td>DL No.</td><td colspan="2"></td><td>RTO</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Conveyance Registration No.</td><td></td><td>Engine No.</td><td></td><td>Chassis No.</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Proof of Identity</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Address</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Phone</td><td colspan="2"></td><td>Email (If any)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="8">2. Details of the Transporter</td></tr>
<tr><td colspan="2">NAME</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Address</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Phone</td><td colspan="2"></td><td>Email (If any)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="4">I am the person-in-charge of the goods conveyance no.</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="3">I am transporting the goods from</td><td></td><td>To</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>I have</td><td colspan="5">a) not produced any documents relating to the goods under transportation.</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="5">b) produced the documents, recorded in the Annexure, relating to the goods under transportation, which I have duly certified and signed as correct.</td><td></td></tr>
</table>

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि आपको दिए गए इस बयान के अनुलग्नक में अंकित प्रपत्रों / अभिलेखों के अतिरिक्त परिवहन किए जा रहे माल से सम्बन्धित अन्य कोई प्रपत्र / अभिलेख न तो मेरे पास एवं न ही वाहन में हैं। बयान में तथ्य उसी प्रकार अंकित किए गए हैं जिस प्रकार मेरे द्वारा बताया गया था और इन तथ्यों को एक बार फिर ---------- भाषा जो मुझे आती है, में समझा दिया गया है।

मैं घोषणा करता हूँ कि बयान में दी गई सूचना सत्य एवं उचित है तथा बयान की एक प्रति मैंने अपने पास रख ली है।

समक्ष   स्वामी / वाहन चालक / प्रभारी व्यक्ति के हस्ताक्षर

समुचित अधिकारी का नाम,
पदनाम एवं हस्ताक्षर

वाहन स्वामी / चालक / प्रभारी के बयान का अनुलग्नक

परिवहन किए जा रहे माल से सम्बन्धित प्रस्तुत किए गए प्रपत्रों / अभिलेखों का विवरण									
क्र0 सं0	जी0 आर0 सं0	जी0 आर0 दिनांक	इन्वाईस सं0	इन्वाईस दिनांक	कन्साईनर	कन्साईनी	वस्तु का नाम	मूल्य	ई-वे बिल नं0 (यदि कोई हो तो)

समक्ष   स्वामी / वाहन चालक / प्रभारी व्यक्ति के हस्ताक्षर

समुचित अधिकारी का नाम,
पदनाम एवं हस्ताक्षर

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश

कार्यालय..

FORM GST MOV-02 **Sr. No.**

माल एवं प्रपत्रों / अभिलेखों के भौतिक सत्यापन / जांच का आदेश

इन्टरसेप्शन नम्बर

श्री ------------------------

स्वामी / वाहन चालक / प्रभारी व्यक्ति

वाहन संख्या--------------- से परिवहित किए जा रहे माल -----------------------------को अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक ----------- को --------बजे ----------- स्थान पर रोका गया था । वाहन के स्वामी / वाहन चालक / प्रभारी व्यक्ति द्वारा;

1. परिवहन किए जा रहे माल से सम्बन्धित कोई प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, या
2. **FORM GST MOV-01** के अनुलग्नक में वर्णित प्रपत्र / अभिलेख सत्यापन हेतु प्रस्तुत किए गए ।

प्रस्तुत प्रपत्रों के सत्यापन के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी का मत है कि परिवहन किए जा रहे माल की जांच UPGST Act, 2017 सपठित CGST Act, 2017 की धारा-68 की उपधारा (3) या IGST Act, 2017 की धारा-20 के अन्तर्गत निम्न कारणों से अपेक्षित है :-

	वाहन स्वामी / चालक / प्रभारी द्वारा परिवहन किए जा रहे माल हेतु कोई प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है
	प्रस्तुत किए गए प्रपत्र प्रथम दृष्ट्या त्रुटिपूर्ण पाए गए हैं ।
	परिवहन किए जा रहे माल (इसकी मात्रा इत्यादि) और / अथवा प्रस्तुत किए गए प्रपत्रों के प्रामाणिकता का अग्रिम सत्यापन आवश्यक है ।
	वाहन में लदे माल से सम्बंधित EWB 01 प्रस्तुत नहीं किया गया ।
	अन्य (अंकित करें)

अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि

1. माल लदे वाहन को -----------------------स्थान पर अपनी देख-रेख एवं अभिरक्षा में खड़ा करें ।
2. परिवहन किए जा रहे माल एवं उससे सम्बन्धित प्रपत्रों के भौतिक सत्यापन एवं जांच में सहयोग करें ।
3. अग्रिम आदेश तक माल लदे वाहन एवं लोड माल को निर्धारित स्थान से न हटाएं ।

समुचित अधिकारी का नाम,
पदनाम एवं हस्ताक्षर

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश

कार्यालय..

FORM GST MOV-03

माल एवं प्रपत्रों / अभिलेखों के भौतिक सत्यापन / जांच की अवधि 03 दिन के उपरान्त बढ़ाने सम्बन्धी आदेश

आदेश संख्या- दिनांक

वाहन संख्या------------------- को असिस्टेन्ट कमिश्नर, सचलदल इकाई ------ वाणिज्य कर जनपद---------------- द्वारा दिनांक --------- को -----बजे ----------- स्थान पर रोका गया था एवं इसकी जांच हेतु वाहन के प्रभारी व्यक्ति को **FORM GST MOV-02** में आदेश जारी करते हुए तामील कराया गया था।

समुचित अधिकारी द्वारा वाहन एवं उसमें लोड माल की जांच निर्धारित अवधि में पूरी न किए जा सकने के कारण इस अवधि को बढ़ाने का अनुरोध निम्न कारणों से किया गया है।

1.

2.

समुचित अधिकारी द्वारा जांच हेतु समय बढ़ाए जाने के अनुरोध पर सम्यक विचारोपरान्त स्वीकार करते हुए प्रश्नगत मामले में जांच की अवधि ------------- दिन बढ़ाई जाती है। समुचित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति वाहन के प्रभारी व्यक्ति पर तामील कराएं।

स्थान:

दिनांक : (अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर)

ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0/कार्यपालक)

वाणिज्य कर, सम्भाग-

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश

कार्यालय...

FORM GST MOV-04

भौतिक सत्यापन रिपोर्ट

सन्दर्भ FORM GST MOV-02 सं0--------------- दिनांक

वाहन संख्या----------------- का भौतिक सत्यापन श्री ------------------- स्वामी / वाहन प्रभारी की उपस्थिति में किया गया है। भौतिक सत्यापन का विवरण निम्नवत है :-

<table>
<tr><th colspan="8">भौतिक सत्यापन रिपोर्ट</th></tr>
<tr><td colspan="3">भौतिक सत्यापन का दिनांक</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="3">वाहन संख्या</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="3">ट्रांसपोर्टर का नाम</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>क्र0 सं0</td><td>जी0आर0 सं0 / दिनांक</td><td>प्रस्तुत इन्वाईस सं0 / दिनांक</td><td>इन्वाईस के अनुसार माल का विवरण HSN सहित</td><td>भौतिक सत्यापन पर पाए गए माल का विवरण</td><td>इन्वाईस के अनुसार मात्रा</td><td>भौतिक सत्यापन के अनुसार मात्रा</td><td>अन्तर</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1.</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

मैं एतदद्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त अंकित वाहन एवं माल का भौतिक सत्यापन मेरी उपस्थिति में किया गया है एवं भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में अंकित सभी विवरण सत्य एवं सही हैं तथा मुझे स्वीकार हैं।

हस्ताक्षर समुचित अधिकारी

हस्ताक्षर स्वामी / वाहन प्रभारी

पावती

मैं एतद्द्वारा यथावत घोषणा करता हूँ कि उक्त भौतिक सत्यापन रिपोर्ट की एक प्रति मैंने प्राप्त कर ली है।

हस्ताक्षर स्वामी / वाहन प्रभारी

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश

कार्यालय...

FORM GST MOV-05 **Sr. No.**

मुक्ति आदेश

सन्दर्भ FORM GST MOV-02 सं0--------------- दिनांक

* 1. वाहन संख्या---------------- से परिवहन किए जा रहे माल की अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक ----- को जांच की गई थी और जांच पर न तो प्रपत्रों / अभिलेखों में एवं न ही माल के भौतिक सत्यापन पर कोई कमी प्रकाश में आई ।

या

* 2. वाहन संख्या---------------- से परिवहन किए जा रहे माल की अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक ----- को जांच की गई थी एवं जांचोपरान्त डिटेन्शन आदेश **FORM GST MOV-06** में दिनांक--------- को एवं नोटिस **FORM GST MOV-07** में वाहन प्रभारी पर दिनांक -------------- को तामील कराई गई थी । माल स्वामी अथवा वाहन के प्रभारी व्यक्ति -

a. द्वारा सामने उपस्थित होकर प्रचलित कार्यवाही में प्रस्तावित देय कर एवं अर्थदण्ड का भुगतान किया गया है ।

b. द्वारा **FORM GST MOV-09** में जारी आदेश द्वारा सृजित देय कर एवं अर्थदण्ड का भुगतान किया गया है ।

c. द्वारा सामने उपस्थित होकर **FORM GST MOV-08** में बान्ड के साथ प्रस्तावित कर एवं अर्थदण्ड के समतुल्य बैंक गारण्टी प्रस्तुत की गई है ।

या

* 3. वाहन संख्या---------------- से परिवहन किए जा रहे माल की अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक ----- को जांच की गई थी । जांचोपरान्त विहित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए माल एवं वाहन की जब्ती का आदेश **FORM GST MOV-11** में पारित किया गया जिसे स्वामी / वाहन प्रभारी पर दिनांक ----------- को तामील कराया गया । स्वामी / वाहन प्रभारी द्वारा उपस्थित होकर कर, अर्थदण्ड एवं माल और वाहन की जब्ती के बदले जुर्माना की धनराशि जमा कर दी गई है ।

उपर्युक्त के आलोक में माल और वाहन को एतदद्वारा दिनांक ------------- को --------बजे अच्छी हालत में छोड़ा जा रहा है ।

हस्ताक्षर समुचित अधिकारी

पावती

मैं एत्दद्वारा यथावत घोषणा करता हूँ कि उक्त मुक्ति आदेश की एक प्रति मैंने प्राप्त कर ली है ।

हस्ताक्षर स्वामी / वाहन प्रभारी

*** जो लागू न हो उसे काट दें ।**

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश

कार्यालय..

FORM GST MOV-06 **Sr. No.**

UPGST Act, 2017 एवं CGST Act, 2017 की धारा 129 (1) / IGST Act, 2017 की धारा 20 के अन्तर्गत डिटेन्शन आर्डर

श्री ---------------------

पता------------------------

वाहन चालक / वाहन के प्रभारी व्यक्ति

वाहन संख्या------------------ को अधोहस्ताक्षरी द्वारा रोक कर दिनांक ---------- को ---------स्थान पर ---------बजे जांच की गई थी। वाहन को रोके जाते समय श्री ----------------- स्वामी /वाहन चालक / वाहन के प्रभारी व्यक्ति थे। जांच के समय -

	वाहन स्वामी / चालक / प्रभारी द्वारा परिवहन किए जा रहे माल हेतु कोई प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है
	प्रस्तुत किए गए प्रपत्र प्रथम दृष्ट्या त्रुटिपूर्ण पाए गए हैं।
	परिवहन किए जा रहे माल (इसकी मात्रा इत्यादि) और / अथवा प्रस्तुत किए गए प्रपत्रों के प्रामाणिकता का अग्रिम सत्यापन आवश्यक है।
	वाहन में लदे माल से सम्बंधित EWB 01 प्रस्तुत नहीं किया गया।
	अन्य (अंकित करें)

उपर्युक्त कारणों से माल एवं सम्बन्धित प्रपत्रों के भौतिक सत्यापन / जांच हेतु आदेश **FORM GST MOV-02** दिनांक -------------- में जारी करते हुए स्वामी / वाहन चालक / वाहन के प्रभारी के व्यक्ति को तामील कराया गया था। परिवहन किए जा रहे माल का भौतिक सत्यापन एवं जांच दिनांक------------ को अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री ----------------- स्वामी / वाहन चालक / वाहन के प्रभारी व्यक्ति की उपस्थिति में किया गया तथा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट **FORM GST MOV-04** में तैयार की गई जिसमें निम्न विसंगतियां प्रकाश में आईं थीं।

माल एवं वाहन के भौतिक सत्यापन के उपरान्त पाई गई विसंगतियां	
1	प्रस्तुत प्रपत्रों एवं परिवहन किए जा रहे माल में भिन्नता का विवरण a) b)
2	ई-वे बिल 01 एवं परिवहन किए जा रहे माल में भिन्नता का विवरण a) b)
3	वैध प्रपत्रों से अनाच्छादित माल का विवरण a) b)
4	अन्य (अंकित करें)

	a) b)

उपर्युक्त विसंगतियों के आधार पर वाहन एवं माल को ऊपर वर्णित अधिनियमों के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही हेतु निरुद्ध (Detain) किया जाना आवश्यक है। अत: अधोहस्ताक्षरी द्वारा माल एवं उक्त वाहन को निरुद्ध किया जाता है तथा वाहन चालक / वाहन के प्रभारी को आदेश दिया जाता है कि वाहन को स्थान------------- पर अपनी देख-रेख एवं अभिरक्षा में तब तक खड़ा रखें जब तक **FORM GST MOV-05** में मुक्ति आदेश जारी न कर दिया जाय।

हस्ताक्षर समुचित अधिकारी

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश

कार्यालय...

Sr. No.

FORM GST MOV-07

UPGST Act, 2017 एवं CGST Act, 2017 की धारा 129 (3) / IGST Act, 2017 की धारा 20 के अन्तर्गत नोटिस

श्री --------------------

पता-----------------------

वाहन चालक / वाहन के प्रभारी व्यक्ति

वाहन संख्या------------------ को अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक ---------- को ---------स्थान पर --------बजे निरुद्ध किया गया था। वाहन चालक / वाहन प्रभारी का बयान दिनांक ----------- को लिया गया था।

2. परिवहन किए जा रहे माल की जांच UPGST Act, 2017 सपठित CGST Act, 2017 की धारा-68 की उपधारा (3) या IGST Act, 2017 की धारा-20 सपठित CGST Act, 2017 की धारा-68 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिनांक ----------- को की गई थी और निम्नलिखित विसंगतियां प्रकाश में आईं थी।

(i)

(ii)

(iii)

3. उक्त के आलोक में वाहन एवं माल को UPGST Act, 2017 की धारा-68 की उपधारा (3) एवं धारा-129 की उपधारा (1) सपठित CGST Act, 2017 की धारा 68 की उपधारा (3) एवं धारा 129 की उपधारा (1) अथवा IGST Act, 2017 की धारा 20 सपठित CGST Act, 2017 की धारा 68 की उपधारा (3) एवं धारा-129 की उपधारा (1) के अन्तर्गत डिटेन्शन आदेश **FORM GST MOV-06** में जारी करते हुए निरुद्ध किया गया था तथा उक्त आदेश की एक प्रति वाहन के प्रभारी व्यक्ति पर दिनांक ------------- को तामील कराई गई थी।

4. CGST / UPGST Act, 2017 की धारा-129 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निरुद्ध किए गए माल एवं वाहन को लागू कर एवं अर्थदण्ड का निम्न प्रकार भुगतान करने पर छोड़े जाने का प्रावधान है :-

i. उस माल पर लागू कर एवं इसके समतुल्य अर्थदण्ड का भुगतान करने पर, जहां माल का स्वामी ऐसे कर एवं अर्थदण्ड का भुगतान करने सामने आता है।

ii. उस माल पर लागू कर एवं माल के मूल्य से CGST Act, 2017 तथा UPGST Act, 2017 के अन्तर्गत जमा कर को घटाने के पश्चात प्राप्त मूल्य पर दोनो अधिनियमों के अन्तर्गत 50-50 प्रतिशत अर्थदण्ड अथवा उस माल पर लागू कर एवं माल के मूल्य से IGST Act, 2017 के अन्तर्गत जमा कर को घटाने के पश्चात प्राप्त मूल्य के बराबर अर्थदण्ड, जहां माल का स्वामी ऐसे कर एवं अर्थदण्ड का भुगतान करने सामने नहीं आता है।

5. CGST / UPGST Act, 2017 की धारा-129 की उपधारा (1) के क्लाज -(c) के अन्तर्गत, उपर्युक्त प्रस्तर-4 में अंकित (i) एवं (ii) यथास्थिति, के समतुल्य जमानत **FORM GST MOV-08** में प्रस्तुत करने पर माल अवमुक्त किए जाने का प्रावधान है।

6. देय लागू कर एवं अर्थदण्ड की गणना निम्न प्रकार प्रस्तावित है :-

1. लागू कर की गणना :-

					कर की दर				कर की धनराशि			
क्र0सं0	माल का विवरण	HSN कोड	मात्रा	कुल मूल्य (रु0)	केन्द्रीय कर	राज्य कर	एकीकृत कर	सेस	केन्द्रीय कर	राज्य कर	एकीकृत कर	सेस
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(2) धारा-129 की उपधारा (1) के क्लाज-(a) के अन्तर्गत देय अर्थदण्ड की गणना :-

					कर की दर				अर्थदण्ड की धनराशि			
क्र0सं0	माल का विवरण	HSN कोड	मात्रा	कुल मूल्य (रु0)	केन्द्रीय कर	राज्य कर	एकीकृत कर	सेस	केन्द्रीय कर	राज्य कर	एकीकृत कर	सेस
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(3) **धारा**-129 की उपधारा (1) के क्लाज-(b) के अन्तर्गत देय अर्थदण्ड की गणना :-

					कर की धनराशि				अर्थदण्ड की धनराशि			
क्र0सं0	माल का विवरण	HSN कोड	मात्रा	कुल मूल्य (रु0)	केन्द्रीय कर	राज्य कर	एकीकृत कर	सेस	केन्द्रीय कर	राज्य कर	एकीकृत कर	सेस
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

7. एतदद्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस की प्राप्ति के 07 दिन के अन्दर कारण स्पष्ट करें कि क्यों न उपर्युक्त तालिका में प्रस्तावित कर एवं अर्थदण्ड अदा करने हेतु आदेश पारित किया जाय तथा विफल रहने पर UPGST Act, 2017 / CGST Act, 2017 या IGST Act, 2017 और The GST (Compensation to states) Act, 2017 के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।

8. एतदद्वारा आपको अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक --------- को -----बजे उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जाता है। यदि नियत तिथि तक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता है अथवा नियत तिथि व समय पर अनुपस्थित रहने की दशा में मामले का निस्तारण उपलब्ध अभिलेखों एवं गुण दोष के आधार पर एक पक्षीय रुप से कर दिया जाएगा।

हस्ताक्षर समुचित अधिकारी

नाम एवं पदनाम

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश

कार्यालय...

FORM GST MOV-08 **Sr. No.**

माल एवं वाहन को अनन्तिम रुप से छोड़े जाने हेतु बान्ड

I/We.................S/D/W of. ....hereinafter called "obligor(s)" am/are held and firmly bound to the President of India (hereinafter called "the President") and/or the Governor of ………….(State) (hereinafter called "the Governor") in the sum of...........................rupees to be paid to the President / the Governor for which payment will and truly be made. I jointly and severally bind myself and my heirs/ executors/ administrators/legal representatives/successors and assigns by these presents; dated this...................day of....................

WHEREAS in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 129 of the UPGST Act, 2017 / CGST Act, 2017 / IGST Act, 2017, the goods have been seized vide order number ……………………dated………… having value of ………….rupees and involving an amount of tax of ……………………. rupees. On my request, the goods have been permitted to be released provisionally by the proper officer on execution of the bond of value ………………….rupees and a security of ………………… …rupees against which bank guarantee has been furnished in favour of the President/ Governor; and

WHEREAS I undertake to produce the said goods released provisionally to me as and when required by the proper officer duly authorized under the Act.

And if all taxes, interest, penalty, fine and other lawful charges demanded by the proper officer are duly paid within seven days of the date of detention being made in writing by the said proper officer, this obligation shall be void.

OTHERWISE and on breach or failure in the performance of any part of this condition, the same shall be in full force and virtue:

AND the President/Governor shall, at his option, be competent to make good all the losses and damages from the amount of the bank guarantee or by endorsing his rights under the above-written bond or both;

IN THE WITNESS THEREOF these presents have been signed the day herein before written by the obligor(s).

Signature(s) of obligor(s).

Date :

Place :

Witnesses

(1) Name and Address Occupation

(2) Name and Address Occupation

Place:

Accepted by me this------------------------------ day of ----------- month---------------- year.

-----------------------------(Designation of the officer) for and on behalf of the President / Governor.

(Signature of the officer)

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश

कार्यालय...

FORM GST MOV-09 **Sr. No.**

कर एवं अर्थदण्ड की मांग का आदेश

आदेश संख्या- आदेश का दिनांक

1	वाहन संख्या	
2	वाहन प्रभारी का नाम	
3	वाहन प्रभारी का पता	
4	वाहन प्रभारी का मोबाईल नम्बर	
5	वाहन प्रभारी की ई-मेल आई0डी0	
6	ट्रांसपोर्टर का नाम	
7	ट्रांसपोर्टर का GSTIN (यदि हो तो)	
8	जांच की तिथि व समय	
9	नोटिस तामीली की तिथि	
10	आदेश जिसके द्वारा पारित किया गया	
11	आदेश की तामीली की तिथि	
12	आदेश के अनुसार मांग	

एक्ट	कर	ब्याज	अर्थदण्ड	जुर्माना / अन्य प्रभार	डिमाण्ड संख्या
CGST Act					
SGST					
IGST Act					
Cess					
Total					

रोके गए माल का विवरण

क्र0सं0	**माल का विवरण**	**HSN कोड**	**मात्रा**	**मूल्य**

रोके गए वाहन का विवरण

क्र0सं0	**विवरण**	**सूचना**
1	वाहन पंजीयन संख्या	
2	वाहन का प्रकार	
3	इंजन नम्बर	
4	चेसिस नम्बर	

(आदेश संलग्न)

हस्ताक्षर समुचित अधिकारी
नाम एवं पदनाम

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश

कार्यालय..

Sr. No.

UPGST Act, 2017 / CGST Act, 2017 की धारा 129 (3) / IGST Act, 2017 की धारा 20 / GST (Compensation to states) Act, 2017 के अन्तर्गत आदेश

श्री --------------------

पता-----------------------

वाहन चालक / वाहन के प्रभारी व्यक्ति

1. वाहन संख्या----------------- को अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक ---------- को ---------स्थान पर ---------बजे रोका गया था। वाहन चालक / वाहन प्रभारी का बयान दिनांक ----------- को लिया गया था।

2. परिवहन किए जा रहे माल की जांच UPGST Act, 2017 सपठित CGST Act, 2017 की धारा-68 की उपधारा (3) या IGST Act, 2017 की धारा-20 सपठित CGST Act, 2017 की धारा-68 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिनांक ----------- को की गई थी और निम्नलिखित विसंगतियां प्रकाश में आईं थी।

(i)

(ii)

(iii)

3. उक्त के आलोक में वाहन एवं माल को UPGST Act, 2017 की धारा-68 की उपधारा (3) एवं धारा-129 की उपधारा (1) सपठित CGST Act, 2017 की धारा 68 की उपधारा (3) एवं धारा 129 की उपधारा (1) अथवा IGST Act, 2017 की धारा 20 सपठित CGST Act, 2017 की धारा 68 की उपधारा (3) एवं धारा-129 की उपधारा (1) के अन्तर्गत डिटेन्शन आदेश **FORM GST MOV-06** में जारी करते हुए रोका गया था तथा उक्त आदेश की एक प्रति वाहन के प्रभारी व्यक्ति पर दिनांक ------------- को तामील कराई गई थी।

4. CGST / UPGST Act, 2017 की धारा-129 की उपधारा (1) के अन्तर्गत रोके गए माल एवं वाहन को लागू कर एवं अर्थदण्ड का निम्न प्रकार भुगतान करने पर छोड़े जाने का प्रावधान है :-

i. उस माल पर लागू कर एवं इसके समतुल्य अर्थदण्ड का भुगतान करने पर, जहां माल का स्वामी ऐसे कर एवं अर्थदण्ड का भुगतान करने सामने आता है।

ii. उस माल पर लागू कर एवं माल के मूल्य से CGST Act, 2017 तथा UPGST Act, 2017 के अन्तर्गत जमा कर को घटाने के पश्चात प्राप्त मूल्य पर दोनो अधिनियमों के अन्तर्गत 50-50 प्रतिशत अर्थदण्ड अथवा उस माल पर लागू कर एवं माल के मूल्य से IGST Act, 2017 के अन्तर्गत जमा कर को घटाने के पश्चात प्राप्त मूल्य के बराबर अर्थदण्ड, जहां माल का स्वामी ऐसे कर एवं अर्थदण्ड का भुगतान करने सामने नहीं आता है।

4.1 CGST / UPGST Act, 2017 की धारा-129 की उपधारा (1) के क्लाज -(c) के अन्तर्गत, उपर्युक्त प्रस्तर-4 में अंकित (i) एवं (ii) यथास्थिति, के समतुल्य जमानत **FORM GST MOV-08** में प्रस्तुत करने पर माल अवमुक्त किए जाने का प्रावधान है।

5. देय लागू कर एवं अर्थदण्ड की गणना निम्न प्रकार प्रस्तावित है :-

1. लागू कर की गणना :-

					कर की दर				कर की धनराशि			
क्र0सं0	माल का विवरण	HSN कोड	मात्रा	कुल मूल्य (रू0)	केन्द्रीय कर	राज्य कर	एकीकृत कर	सेस	केन्द्रीय कर	राज्य कर	एकीकृत कर	सेस
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(2) धारा-129 की उपधारा (1) के क्लाज-(a) के अन्तर्गत देय अर्थदण्ड की गणना :-

					कर की दर				अर्थदण्ड की धनराशि			
क्र0सं0	माल का विवरण	HSN कोड	मात्रा	कुल मूल्य (रू0)	केन्द्रीय कर	राज्य कर	एकीकृत कर	सेस	केन्द्रीय कर	राज्य कर	एकीकृत कर	सेस
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(3) **धारा**-129 की उपधारा (1) के क्लाज-(b) के अन्तर्गत देय अर्थदण्ड की गणना :-

					कर की धनराशि				अर्थदण्ड की धनराशि			
क्र0सं0	माल का विवरण	HSN कोड	मात्रा	कुल मूल्य (रू0)	केन्द्रीय कर	राज्य कर	एकीकृत कर	सेस	केन्द्रीय कर	राज्य कर	एकीकृत कर	सेस
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

6. उपर्युक्त बिन्दुओं का समावेश करते हुए इस आशय से कि क्यों न माल एवं वाहन को अवमुक्त करने हेतु देय कर एवं अर्थदण्ड के भुगतान की मांग का आदेश पारित किया जाय, वाहन के प्रभारी व्यक्ति पर **FORM GST MOV-07** में कारण बताओ नोटिस जारी करके विधिवत तामील कराते हुए सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया।

7. उक्त नोटिस के उत्तर में

i. माल के स्वामी / वाहन के प्रभारी व्यक्ति उपस्थित हुए एवं प्रस्तावित कर तथा अर्थदण्ड का भुगतान किया गया। इसके आलोक में, प्रस्तावित लागू कर एवं अर्थदण्ड की पुष्टि की जाती है।

ii. माल के स्वामी / वाहन के प्रभारी व्यक्ति द्वारा निम्न आपत्ति प्रस्तुत की गई :-

a.

b.

c.

8. माल के स्वामी / वाहन के प्रभारी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का अवलोकन किया गया जिसे निम्न कारणों से स्वीकार / अस्वीकार किया जाता है :-

< स्पष्ट आदेश टंकित जाय >

9. उपर्युक्त के आलोक में लागू कर एवं अर्थदण्ड की गणना / पुन:गणना निम्न प्रकार की जा रही है :-

<पुन:गणना का भाग >

10. आपको एतदद्वारा निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्धारित धनराशि का भुगतान तुरन्त / **FORM GST MOV-06** में डिटेन्शन आदेश जारी करने की तिथि से 07 दिन से अनधिक अवधि में कर दें अन्यथा विफल रहने पर प्रान्तीय / केन्द्रीय जी0एस0टी0 अधिनियम की धारा-130 / एकीकृत अधिनियम की धारा-20 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी ।

हस्ताक्षर समुचित अधिकारी
नाम एवं पदनाम

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश

कार्यालय..

FORM GST MOV-10 Sr. No.

माल एवं / अथवा वाहन की जब्ती और अर्थदण्ड आरोपण हेतु UPGST Act, 2017 / CGST Act, 2017 की धारा-130 सपठित IGST Act, 2017 / GST (Compensation to States) Act, 2017 की सुंसगत धाराओं के अन्तर्गत नोटिस

श्री ---------------------

पता------------------------

वाहन चालक / वाहन के प्रभारी व्यक्ति

वाहन संख्या------------------ को अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक ---------- को ---------स्थान पर ---------बजे रोका गया था। वाहन चालक / वाहन प्रभारी का बयान दिनांक ----------- को लिया गया था।

2. परिवहन किए जा रहे माल की जांच UPGST Act, 2017 सपठित CGST Act, 2017 की धारा-68 की उपधारा (3) या IGST Act, 2017 की धारा-20 सपठित CGST Act, 2017 की धारा-68 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिनांक ----------- को की गई थी और निम्नलिखित विसंगतियां प्रकाश में आईं थी।

(i)

(ii)

(iii)

3. उक्त के परिप्रेक्ष्य में वाहन एवं माल को UPGST Act, 2017 की धारा-68 की उपधारा (3) एवं धारा-129 की उपधारा (1) सपठित CGST Act, 2017 की धारा 68 की उपधारा (3) एवं धारा 129 की उपधारा (1) अथवा IGST Act, 2017 की धारा 20 सपठित CGST Act, 2017 की धारा 68 की उपधारा (3) एवं धारा-129 की उपधारा (1) के अन्तर्गत डिटेन्शन आदेश **FORM GST MOV-06** में जारी करते हुए रोका गया तथा उक्त आदेश की एक प्रति वाहन के प्रभारी व्यक्ति पर दिनांक -------------- को तामील कराई गई। **FORM GST MOV-06** में डिटेन्शन आदेश के साथ-साथ उक्त अधिनियम की धारा-129 (3) के अन्तर्गत प्रश्नगत माल के सम्बन्ध में देय कर एवं अर्थदण्ड की धनराशि विनिर्दिष्ट करते हुए एक नोटिस **FORM GST MOV-07** में जारी की गई।

4. तत्पश्चात, नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का पालन करते हुए देय लागू कर एवं अर्थदण्ड अदा करने हेतु एक आदेश **FORM GST MOV-09** में दिनांक ----------- को पारित करते हुए वाहन के प्रभारी व्यक्ति पर तामील कराया गया। फिर भी, न तो माल के स्वामी एवं न ही वाहन के प्रभारी व्यक्ति द्वारा सामने आकर उपर्युक्त वर्णित आदेश में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत देय कर एवं अर्थदण्ड का भुगतान किया गया।

5. उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में, UPGST Act, 2017 सपठित CGST Act, 2017 की धारा-130 अथवा IGST Act, 2017 की धारा-20 / GST (Compensation to States) Act, 2017 सपठित CGST Act, 2017 की धारा-130 के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रश्नगत माल और इसके परिवहन में प्रयुक्त वाहन की जब्ती प्रस्तावित की जाती है। इसके अतिरिक्त, आपकी ऐसे माल और वाहन के सम्बन्ध में देय कर / अर्थदण्ड एवं अन्य प्रभार की भी देयता है।

या

चूंकि माल का परिवहन वैध प्रपत्रों के बिना किया जा रहा था जिससे यह अवधारित होता है कि माल का परिवहन कर अपवंचन के उद्देश्य से किया जा रहा था। इस परिप्रेक्ष्य में UPGST Act, 2017 सपठित CGST Act, 2017 की धारा-130 अथवा IGST Act, 2017 की धारा-20 / GST (Compensation to States) Act, 2017 सपठित CGST Act, 2017 की धारा-130 के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रश्नगत माल और इसके परिवहन में प्रयुक्त वाहन की जब्ती प्रस्तावित की जाती है। इसके अतिरिक्त, आपकी ऐसे माल और वाहन के सम्बन्ध में देय कर / अर्थदण्ड एवं अन्य प्रभार की भी देयता है।

6. देय लागू कर एवं अर्थदण्ड की गणना निम्न प्रकार प्रस्तावित है :-

1. कर की गणना :-

					कर की दर				कर की धनराशि			
क्र0सं0	माल का विवरण	HSN कोड	मात्रा	कुल मूल्य (रू0)	केन्द्रीय कर	राज्य कर	एकीकृत कर	सेस	केन्द्रीय कर	राज्य कर	एकीकृत कर	सेस
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2. अर्थदण्ड की गणना :-

					कर की दर				अर्थदण्ड की धनराशि			
क्र0सं0	माल का विवरण	HSN कोड	मात्रा	कुल मूल्य (रू0)	केन्द्रीय कर	राज्य कर	एकीकृत कर	सेस	केन्द्रीय कर	राज्य कर	एकीकृत कर	सेस
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3. माल की जब्ती के बदले जुर्माने की गणना

क्र0सं0	माल का विवरण	HSN कोड	मात्रा	कुल मूल्य (रु0)	जुर्माना की धनराशि			
					केन्द्रीय कर	राज्य कर	एकीकृत कर	सेस
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4. वाहन की जब्ती के बदले जुर्माने की धनराशि

					कर की दर				जुर्माना की धनराशि			
क्र0सं0	माल का विवरण	HSN कोड	मात्रा	कुल मूल्य (रू0)	केन्द्रीय कर	राज्य कर	एकीकृत कर	सेस	केन्द्रीय कर	राज्य कर	एकीकृत कर	सेस
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

7. एतदद्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस की प्राप्ति के 07 दिन के अन्दर कारण स्पष्ट करें कि क्यों न प्रश्नगत माल और इस माल के परिवहन में प्रयुक्त वाहन को UPGST Act, 2017 / CGST Act, 2017 की धारा-130 अथवा IGST Act, 2017 की धारा-20 / GST (Compensation to States) Act, 2017 सपठित CGST Act, 2017 की धारा-130 के अन्तर्गत जब्त किया जाय और क्यों न ऐसे माल और वाहन के सम्बन्ध में देय कर, अर्थदण्ड एवं अन्य प्रभार की देयता भी निर्धारित की जाय।

8. एतदद्वारा आपको अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक --------- को -----बजे उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जाता है। यदि नियत तिथि तक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता है अथवा नियत तिथि व समय पर अनुपस्थित रहने की दशा में मामले का निस्तारण उपलब्ध अभिलेखों एवं गुण दोष के आधार पर एक पक्षीय रुप से कर दिया जाएगा।

हस्ताक्षर समुचित अधिकारी
नाम एवं पदनाम

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश

कार्यालय..

FORM GST MOV-11 **Sr. No.**

माल एवं वाहन की जब्ती तथा कर, अर्थदण्ड एवं जुर्माना की मांग का आदेश

आदेश संख्या- आदेश का दिनांक

1	वाहन संख्या	
2	वाहन प्रभारी का नाम	
3	वाहन प्रभारी का पता	
4	वाहन प्रभारी का मोबाईल नम्बर	
5	वाहन प्रभारी की ई-मेल आई0डी0	
6	ट्रांसपोर्टर का नाम	
7	ट्रांसपोर्टर का GSTIN (यदि हो तो)	
8	जांच की तिथि व समय	
9	नोटिस तामीली की तिथि	
10	आदेश जिसके द्वारा पारित किया गया	
11	आदेश की तामीली की तिथि	
12	जब्ती आदेश के अनुसार मांग	

माल के सम्बन्ध में

एक्ट	कर	ब्याज	अर्थदण्ड	जुर्माना / अन्य प्रभार	डिमाण्ड संख्या
CGST Act					
SGST					
IGST Act					
Cess					
Total					

वाहन के सम्बन्ध में

एक्ट	कर	ब्याज	अर्थदण्ड	जुर्माना / अन्य प्रभार	डिमाण्ड संख्या
CGST Act					
SGST					
IGST Act					
Cess					
Total					

जब्त किए गए माल का विवरण

क्र0सं0	माल का विवरण	HSN कोड	मात्रा	मूल्य

जब्त किए गए वाहन का विवरण

क्र0सं0	**विवरण**	**सूचना**
1	वाहन पंजीयन संख्या	
2	वाहन का प्रकार	
3	इंजन नम्बर	
4	चेसिस नम्बर	

(आदेश संलग्न)

हस्ताक्षर समुचित अधिकारी
नाम एवं पदनाम

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश

कार्यालय...

Sr. No.

UPGST Act, 2017 / CGST Act, 2017 की धारा-130 सपठित IGST Act, 2017 / GST (Compensation to States) Act, 2017 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जब्ती आदेश

श्री --------------------

पता-----------------------

वाहन चालक / वाहन के प्रभारी व्यक्ति

वाहन संख्या----------------- को अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक ---------- को ---------स्थान पर --------बजे रोका गया था। वाहन चालक / वाहन प्रभारी का बयान दिनांक ----------- को लिया गया था।

2. परिवहन किए जा रहे माल की जांच UPGST Act, 2017 सपठित CGST Act, 2017 की धारा-68 की उपधारा (3) या IGST Act, 2017 की धारा-20 सपठित CGST Act, 2017 की धारा-68 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिनांक ----------- को की गई थी और निम्नलिखित विसंगतियां प्रकाश में आई थी।

(i)

(ii)

(iii)

3. उक्त के परिप्रेक्ष्य में वाहन एवं माल को UPGST Act, 2017 की धारा-68 की उपधारा (3) एवं धारा-129 की उपधारा (1) सपठित CGST Act, 2017 की धारा 68 की उपधारा (3) एवं धारा 129 की उपधारा (1) अथवा IGST Act, 2017 की धारा 20 सपठित CGST Act, 2017 की धारा 68 की उपधारा (3) एवं धारा-129 की उपधारा (1) के अन्तर्गत डिटेन्शन आदेश **FORM GST MOV-06** में जारी करते हुए रोका गया था तथा उक्त आदेश की एक प्रति वाहन के प्रभारी व्यक्ति पर दिनांक ------------- को तामील कराई गई थी। **FORM GST MOV-06** में डिटेन्शन आदेश के साथ-साथ उक्त अधिनियम की धारा-129 (3) के अन्तर्गत प्रश्नगत माल के सम्बन्ध में देय कर एवं अर्थदण्ड की धनराशि विनिर्दिष्ट करते हुए एक नोटिस **FORM GST MOV-07** में जारी की गई थी।

4. तत्पश्चात, नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का पालन करते हुए देय लागू कर एवं अर्थदण्ड अदा करने हेतु एक आदेश **FORM GST MOV-09** में दिनांक ----------- को पारित करते हुए वाहन के प्रभारी व्यक्ति पर तामील कराया गया था। फिर भी, न तो माल के स्वामी एवं न ही वाहन के प्रभारी व्यक्ति द्वारा सामने आकर उपर्युक्त वर्णित आदेश में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत देय कर एवं अर्थदण्ड का भुगतान किया गया। अत: माल और इस माल के परिवहन हेतु प्रयुक्त वाहन की जब्ती हेतु **FORM GST MOV-10** में एक नोटिस दिनांक----------- को जारी करते हुए वाहन के प्रभारी व्यक्ति को तामील कराई गई जिसमें उस माल और वाहन के सम्बन्ध में देय कर, अर्थदण्ड एवं अन्य प्रभार की देयता की भी मांग की गई थी।

या

चूंकि माल का परिवहन वैध प्रपत्रों के बिना किया जा रहा था जिससे यह अवधारित होता है कि माल का परिवहन कर अपवंचन के उद्देश्य से किया जा रहा था। इस परिप्रेक्ष्य में UPGST Act, 2017 / CGST Act, 2017 की धारा-130 अथवा CGST Act, 2017 की धारा-130 सपठित IGST Act, 2017 की धारा-20 / GST (Compensation to States) Act, 2017 के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रश्नगत माल और इसके परिवहन में प्रयुक्त वाहन की जब्ती प्रस्तावित करते हुए एक नोटिस **FORM GST MOV-10** में जारी की गई थी जिसमें उस माल और वाहन के सम्बन्ध में देय कर, अर्थदण्ड एवं अन्य प्रभार की भी देयता की मांग की गई थी।

5. प्रभारी व्यक्ति द्वारा नोटिस का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया / प्रस्तुत किया गया जो निम्न कारणों से स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है :-

a)

b)

c)

6. उक्त के परिप्रेक्ष्य में, UPGST Act, 2017 / CGST Act, 2017 की धारा-130 या CGST Act, 2017 की धारा-130 सपठित IGST Act, 2017 की धारा-20 / GST (Compensation to States) Act, 2017 के अधीन प्रद-ा शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न सारणी में वर्णित विवरण के अनुसार माल एवं इस माल के परिवहन में प्रयुक्त वाहन को जब्त किया जाता है :-

जब्त किए गए माल का विवरण

क्र0सं0	माल का विवरण	HSN कोड	मात्रा	मूल्य

जब्त किए गए वाहन का विवरण

क्र0सं0	विवरण	सूचना
1	वाहन पंजीयन संख्या	
2	वाहन का प्रकार	
3	इंजन नम्बर	
4	चेसिस नम्बर	

7. आपको यह भी सूचित किया जाता है कि निम्न विवरण के अनुसार कर, अर्थदण्ड एवं जब्ती के बदले जुर्माना का भुगतान इस आदेश को पारित करने की तिथि से ---------------- दिन के अन्दर कर देने पर उपरोक्त माल एवं वाहन अवमुक्त कर दिया जाएगा।

1. कर की गणना :-

					कर की दर				कर की धनराशि			
क्र0सं0	माल का विवरण	HSN कोड	मात्रा	कुल मूल्य (रु0)	केन्द्रीय कर	राज्य कर	एकीकृत कर	सेस	केन्द्रीय कर	राज्य कर	एकीकृत कर	सेस
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2. अर्थदण्ड की गणना :-

					कर की दर				अर्थदण्ड की धनराशि			
क्र0सं0	**माल का विवरण**	**HSN कोड**	**मात्रा**	**कुल मूल्य (रु0)**	**केन्द्रीय कर**	**राज्य कर**	**एकीकृत कर**	**सेस**	**केन्द्रीय कर**	**राज्य कर**	**एकीकृत कर**	**सेस**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3. माल की जब्ती के बदले जुर्माने की निर्धारित धनराशि

क्र0सं0	माल का विवरण	HSN कोड	मात्रा	कुल मूल्य (रु0)	जुर्माना की धनराशि			
					केन्द्रीय कर	राज्य कर	एकीकृत कर	सेस
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4. वाहन की जब्ती के बदले जुर्माने की निर्धारित धनराशि

					कर की दर				जुर्माना की धनराशि			
क्र0सं0	**माल का विवरण**	**HSN कोड**	**मात्रा**	**कुल मूल्य (रु0)**	**केन्द्रीय कर**	**राज्य कर**	**एकीकृत कर**	**सेस**	**केन्द्रीय कर**	**राज्य कर**	**एकीकृत कर**	**सेस**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

हस्ताक्षर समुचित अधिकारी
नाम एवं पदनाम